

अधिसूचित एसईजेड के संबंध में विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए 26 अप्रैल, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित एसईजेड के संबंध में विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 26 अप्रैल, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट I)।

2. अध्यक्ष ने काफी समय बाद आयोजित हो रही अनुमोदन बोर्ड की नियमित बैठक के सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि अनुमोदन बोर्ड की कार्यवाही अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होगी, जिसकी बैठक 5 अप्रैल 2007 को हुई थी। उन्होंने सूचित किया कि ईजीओएम द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

- i. भूमि के संबंध में विवादों का सत्यापन सहित सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसईजेड के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है।
- ii. सैद्धांतिक, औपचारिक अनुमोदन तथा अधिसूचना के लिए एसईजेड के लिए लंबित आवेदनों को इस शर्त के अधीन प्रोसेस किया जा सकता है कि राज्य सरकारें ऐसे एसईजेड के लिए भूमि के किसी अनिवार्य अधिग्रहण का वचन नहीं देंगी।
- iii. बहु उत्पाद एसईजेड तथा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए समान रूप से न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र 50 प्रतिशत नियत किया गया है।
- iv. बहु उत्पाद एसईजेड के लिए अपेक्षित क्षेत्रफल की ऊपरी सीमा को 5000 हेक्टेयर होगी, हालांकि राज्य सरकारें इससे कम सीमा निर्धारित कर सकती हैं।
- v. ग्रामीण विकास मंत्रालय से सभी संगत मुद्दों के निराकरण के लिए व्यापक भूमि अधिग्रहण अधिनियम फिर से तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
- vi. प्रत्येक विस्थापित परिवार से कम से कम एक व्यक्ति के लिए परियोजना से आजीविका का सुनिश्चय करते हुए व्यापक पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति तैयार करनी होगी।

अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि ईजीओएम के निर्णयों के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 32 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं जिससे नई पीढ़ी के एसईजेड की कुल संख्या 95 हो गई है। इसके अलावा, सदस्यों को यह भी सूचित किया गया कि 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा तथा सभी अन्य लंबित प्रस्ताव जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा सकारात्मक सिफारिशें प्रदान की गई हैं, मई और जून 2007 में आयोजित होने वाली 3 बैठकों में लिए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों से अपने राज्य से संबंधित प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया ताकि उनको एजेंडा में शामिल किया जा सके। सूचित किया गया कि 5 अप्रैल 2007 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की सूची राज्य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है।

अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि राजस्व विभाग से सदस्य (सीमा शुल्क) ने सामाजिक अवसंरचना जैसे कि आवास, सर्विस अपार्टमेंट, कार्यालय एवं वाणिज्यिक स्थान, शॉपिंग आर्केड के लिए स्थान, बिजनेस / कनवेंशन सेंटर, विद्युत उत्पादन संयंत्र, होटल एवं अस्पताल आदि की मात्रा / आकार के संबंध में कुछ समुक्तियां की हैं तथा इन प्रस्तावों को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तथापि, टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष के बीच बैठक हुई और विस्तृत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड से भिन्न एसईजेड के विकासकों से कहा जाएगा कि वे अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से पूर्व उपर्युक्त श्रेणियों की अपेक्षित अवसंरचना के आकार का उल्लेख करें। यह भी निर्णय लिया गया कि आईटी एसईजेड के मामले में भी ऐसे मामलों में आकार का सुनिश्चय किया जाना चाहिए जहां एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी अवसंरचना का प्रस्ताव किया जाता है।

इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा की मर्दें ली गईं जो इस प्रकार हैं :

मद संख्या 1 : कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, केरल द्वारा पुथव्यपीन, कोचीन में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, केरल द्वारा पुथव्यपीन, कोचीन में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अनुरोध पर विचार किया गया। बीपीसीएल के प्रतिनिधियों ने अपने मामले को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुति दी तथा बताया कि पूंजी माल पहुंच चुका है और अनुमोदन बोर्ड का निर्णय लंबित होने के कारण उसका उत्थापन नहीं किया जा रहा है। बीपीसीएल के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह विशिष्ट उत्थापन केवल समुद्र में किया जा सकता है तथा यह भूमि पर नहीं हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया तथा निदेश दिया कि केवल वही प्रचालन कर छूट के लिए पात्र होंगे जो अधिसूचित एसईजेड के अंदर संचालित किए जाने हैं तथा एसईजेड से बाहर के क्षेत्र में संचालित कए जाने वाले प्रचालन किसी कर छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोचीन में विकसित किए जाने वाले पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के रूप में बीपीसीएल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने नोट किया कि सह विकासक के रूप में बीपीसीएल द्वारा संचालित की जाने वाली सटीक गतिविधियों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और तदनुसार निर्णय लिया गया कि अंतिम निर्णय के लिए 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में मामले पर और विचार किया जा सकता है।

मद संख्या 2 : हसन, कर्नाटक में केआईएडीबी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित वस्त्र एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

हसन, कर्नाटक में केआईएडीबी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा 233.307 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 5 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित वस्त्र एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन पर तभी विचार किया जाएगा जब विकासक द्वारा उनकी मात्रा / आकार के बारे में उल्लेख किया जाएगा, अनुबंध 1 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. विद्युत उत्पादन
2. कार्यालय स्थान
3. आवास
4. शॉपिंग आर्केड

मद संख्या 3 : चेन्नई में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 23.45 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा चेन्नई में 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 23.45 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यह कि राज्य सरकार ने भी अनुरोध पर कोई आपत्ति न होने की सूचना प्रदान की है। अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल को बढ़ाकर **23.45** हेक्टेयर करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 4 : पोर्ट आधारित एसईजेड के रूप में नामित एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालन के रूप में 5 मदों को शामिल करने के लिए कोचीन एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा पोर्ट आधारित एसईजेड के रूप में नामित एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालन के रूप में 5 मदों को शामिल करने के लिए कोचीन एसईजेड के अनुरोध पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को शामिल करने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि प्रचालन केवल एसईजेड के अंदर होंगे :

1. शिप की हैंडलिंग के लिए लंगर डालने की सुविधाएं।
2. लिक्विड, ड्राई, बल्क या कंटेनराइज्ड कार्गो को हटाने की सुविधाएं।
3. लिक्विड, ड्राई, बल्क या कंटेनराइज्ड आयात / निर्यात कार्गो के भंडारण की सुविधाएं।
4. शिप की हैंडलिंग से आनुषंगिक अन्य प्रचालन।

एयरक्राफ्ट की लैंडिंग से संबंधित सुविधाओं तथा एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग से आनुषंगिक अन्य प्रचालनों के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने ऐसे एयरक्राफ्ट के प्रकार पर कुछ और स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की जिनके लिए सुविधाएं सृजित की जानी हैं। तदनुसार, इस पर निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 2 में दी गई सूची के अनुसार अधिकृत प्रचालनों की सूची के विस्तार के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 5 : मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) (पूर्व में इसका नाम गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड था) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक तथा अधिकृत प्रचालनों के लिए एडीकॉप का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 में सूचीबद्ध मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) (पूर्व में इसका नाम गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड था) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक तथा अधिकृत प्रचालनों के लिए एडीकॉप के अनुरोध पर विचार किया।

मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में विचार करने के लिए सूचीबद्ध अपने एसईजेड से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रस्तुति दी। अनेक मुद्दों के अभी तक स्पष्ट न होने के कारण राजस्व विभाग में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तथापि, राजस्व विभाग में आयकर सदस्य ने बताया कि यह अधिसूचित एसईजेड है तथा स्थगन से परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होगा। विकासक के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि उनके पास 52 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्करण क्षेत्र है और यह कि वे मौजूदा पोर्ट पर किसी लाभ का दावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एसईजेड के अंग के रूप में अधिसूचित मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट लिंक परियोजना के लिए बहुत जरूरी है और यह कि इस समय यह गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय एसईजेड का विकास चरणों में किया जा रहा है क्योंकि उनके पास भूमि धीरे धीरे आ रही है और यह कि जब परियोजना पूरी हो जाएगी तो 300000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होगा। तथापि, सीबीईसी के प्रतिनिधियों ने विकासक से कुछ और ब्यौरे प्रदान करने की मांग की तथा 9 मई 2007 को होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक तक निर्णय को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए मद को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : आईटी / आईटीईएस एसईजेड को बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 202.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को 1081 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और भूमि संस्पर्शी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड को बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 7 : अधिसूचित मान्यता एसईजेड के विमुक्तीकरण को अनुमत करने के लिए मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 22.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित मान्यता एसईजेड के कुछ अंश के विमुक्तीकरण को अनुमत करने के लिए मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने 1.860 हेक्टेयर की वृद्धि तथा तथा 3.09 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल को शामिल करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र से 1.238 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का निवल विमुक्तीकरण होगा तथा यह नोट किया कि इससे एसईजेड की सन्निकटता प्रभावित नहीं होगी और एसईजेड के विधायी प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सभी अन्य कसौटियां पूरी होंगी और यह भी कि विकास आयुक्त ने मामले की सिफारिश की और यह कि अब विमुक्त किए जा रहे क्षेत्र में गतिविधियों के लिए कोई कर छूट प्राप्त नहीं की गई है।

मद संख्या 8 : मुंद्रा एसईजेड, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क का अनुरोध

मुंद्रा एसईजेड से संबंधित सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने के निर्णय के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार करने के लिए अनुबंध 4 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों के लिए मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 9 : जामनगर में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के बहु उत्पाद के लिए एसईजेड के रूप में परिवर्तन तथा सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने 14 अप्रैल 2006 को अधिसूचित जामनगर, गुजरात में 440.08 हेक्टेयर (1087.44 एकड़) के क्षेत्रफल में मैसर्स रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएफएल) द्वारा पेट्रोलीयम एवं पेट्रोकेमिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 1224.08 हेक्टेयर (3024.75 एकड़) के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 733.70 हेक्टेयर (1813 एकड़) की अतिरिक्त भूमि पर आरआईएफएल का कब्जा है और एसईजेड (दूसरा संशोधन) नियमावली 2007 दिनांक 16 मार्च 2017 के साथ पठित एसईजेड

नियमावली 2006 के नियम 5 के उप नियम 2 के खंड घ के अनुसार पेट्रोकेमिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने उनके कब्जे के अधीन भूमि पर दो रेल लाइन और दो सड़कों की वजह से आम रास्ता से संबंधित सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने पर भी विचार किया और एसईजेड (दूसरा संशोधन) नियमावली 2007 दिनांक 16 मार्च 2007 के साथ पठित एसईजेड नियमावली के नियम 7 के उप नियम 2 के परंतुक के प्रावधानों के अनुसार सन्निकटता की शर्त में निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने के लिए राजी हुआ :

- (i) यह कि वाणिज्य विभाग को रेल मंत्रालय से औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब रेल मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
- (ii) यह कि वे संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समर्पित सुरक्षा फाटकों / ओवर ब्रिज / अंडर पास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेंगे तथा 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंक फेंसिंग जिसके शीर्ष 0.6 मीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी, से रेलवे ट्रैक और रोड के दोनों ओर फेंसिंग भी करेंगे।
- (iii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

मद संख्या 10 : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित महिंद्रा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि महिंद्रा एसईजेड (जयपुर) के अंदर 129 एकड़ (52.21 हेक्टेयर) भूमि के विकास के लिए इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा 15 दिसंबर 2006 को अधिसूचित महिंद्रा एसईजेड में सह विकासक के लिए इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 11 : बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए महिंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

महिंद्रा एसईजेड से संबंधित सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने के निर्णय के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए महिंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध पर विचार करना 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 12 : सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के लिए एडीकॉर्प मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एडीकॉर्प) का प्रस्ताव

महिंद्रा एसईजेड से संबंधित सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने के निर्णय के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के लिए एडीकॉर्प मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एडीकॉर्प) के प्रस्ताव पर विचार करना 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 13 : कोई आम रास्ता न होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जीएपीएल) (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) का अनुरोध

महिंद्रा एसईजेड से संबंधित सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने के निर्णय के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने कोई आम रास्ता न होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जीएपीएल) (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) के अनुरोध पर विचार करना 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 14 : मुंद्रा, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में क्षेत्रफल के सीमांकन के लिए मैसर्स जीएपीएल (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) का अनुरोध

महिंद्रा एसईजेड से संबंधित सभी प्रस्तावों को आस्थगित करने के निर्णय के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में क्षेत्रफल के सीमांकन के लिए मैसर्स जीएपीएल (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) के अनुरोध पर विचार करना 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 15 : सिलोखेड़ा, गुड़गाव, हरियाणा में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि डीएलएफएल और डीएपीएल के बीच सह विकासक करार एवं परिशिष्ट के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिलोखेड़ा, हरियाणा में 14.97 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने तथा 6 दिसंबर 2006 को अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 5 के अनुसार सह विकासक अर्थात् मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों की सूची को भी इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

मद संख्या 16 : एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में मैसर्स इनफोपार्क द्वारा अधिकृत प्रचालन

अनुबंध 6 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

मद संख्या 17 : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदन के अनुसार महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर अनुसूची 7 के अनुसार विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है कि प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में किन अधिकृत प्रचालनों के संचालन का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 18 : फटे पुराने / प्रयुक्त कपड़ों की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों के अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कांडला एसईजेड का अनुरोध

राजस्व विभाग में सीबीईसी के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उन्होंने इस संबंध में सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारीय आयुक्त से कुछ सूचना मनाई है और 9 मई 2007 को होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक तक एजेंडा की इस मद को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक तक एजेंडा की इस मद पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 19 : गांधीनगर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

अनुबंध 8 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

मद संख्या 20 : एसईजेड का क्षेत्रफल 10.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.80 हेक्टेयर करने के लिए रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड का क्षेत्रफल 10.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.80 हेक्टेयर करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में 11 जनवरी 2007 को अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड एसईजेड के विकासक रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि इस पर विकास आयुक्त की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 21 : कोलकाता आईटी पार्क एसईजेड में चारदीवारी तथा प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कोलकाता आईटी पार्क एसईजेड में चारदीवारी तथा 1 से अधिक प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि प्रवेश / निकास बिंदुओं की संख्या के सटीक ब्यौरों पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा निर्णय लिए जाएंगे।

इस बिंदु पर यह मुद्दा उठाया गया कि क्या प्रत्येक मामले में इन छोटे मोटे ब्यौरों के निर्णय में अनुमोदन बोर्ड की भागीदारी होनी चाहिए। सदस्य सचिव ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एसईजेड नियमावली के संशोधित प्रावधान यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक मामले में सीमांकित प्रसंस्करण क्षेत्र की फेंसिंग का ढंग तथा प्रवेश / निकास बिंदु अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। विस्तृत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि :

- (i) आईटी / आईटीईएस / ईएच / जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के मामले में फेंसिंग के ढंग तथा प्रवेश / निकास बिंदुओं की संख्या के बारे में निर्णय लेने की अनुमोदन बोर्ड की शक्ति का प्रयोग संबंधित विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा जो इस संबंध में लिए गए निर्णयों से अनुमोदन बोर्ड को अवगत कराएंगे।

- (ii) जहां भी विकासक एकल प्रवेश / निकास बिंदु के साथ 0.6 मीटर के कटीले तार की फेंसिंग के साथ 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंकड फेंसिंग के निर्माण का प्रस्ताव करेंगे, जिसका 16 मार्च 2017 के संशोधन से पूर्व एसईजेड नियमावली 2006 में प्रावधान किया गया है, तो अनुमोदन बोर्ड के अलग अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) सभी अन्य मामलों में यथा संशोधित एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 के उप नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाए जाएंगे।

मद संख्या 22 : मैसर्स बोमीडाला एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो एमईपीजेड एसईजेड में सिगरेट का निर्माण करने वाली कंपनी है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स बोमीडाला एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुरोध को नोट किया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि उन्होंने व्यापार की गतिविधि के लिए भी अनुरोध किया है जो अनुमोदन समिति के समक्ष लंबित है तथा इस संबंध में भी अनुमोदन बोर्ड के निर्देश के लिए अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड ने दोनों अनुरोधों पर विचार किया तथा निदेश दिया कि सिगरेट से संबंधित मुद्दों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्षमता में किसी वृद्धि का विरोध कर रहा है, एसईजेड में सिगरेट का निर्माण या व्यापार करने वाली यूनिटों को अनुमोदन प्रदान करने से बचना उपयुक्त होगा तथा निर्णय लिया कि इसे लंबित रखा जा सकता है।

पूरक एजेंडा :

मद संख्या 1 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मामिडीपल्ली गांव, सरोरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ब्राह्मणी इनफाटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 9 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(ii) विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

निम्नलिखित मदों को छोड़कर अनुबंध 10 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई :

1. विद्युत उत्पादन
2. आवास, होटल
3. कार्यालय
4. हॉस्पिटल

निर्णय लिया गया कि जब विकासक प्रस्तावित आकार / मात्रा के संबंध में ब्यौरे प्रदान करेगा तब इन अवसंरचना सुविधाओं के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी।

(iii) क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 11 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(iv) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 10 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(v) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 13 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

इसमें सूचीबद्ध मद संख्या (ix) से (xi) और (xiv) और (xvii) के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मात्रा के संबंध में निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है :

(ix) 20000 वर्गमीटर के क्षेत्र का प्रस्ताव कार्यपालकों के लिए होटल के रूप में किया गया है।

(x) प्रस्ताव 25 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए है

(xi) 8000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में शैक्षिक संस्था का प्रस्ताव किया गया है तथा इसमें प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं और प्ले स्कूल शामिल होंगे।

(xiv) बिजनेस / कनवेंशन सेंटर में लगभग 100 लोगों के लिए बैठने की सुविधा होगी।

(xvii) 250 मेगावाट के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी जिसके लिए 20 एकड़ के क्षेत्रफल में एक सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। विकासक के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्त धारणाओं के आधार पर, अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालन अनुमोदित किए गए।

(vi) गोवा में फार्मास्युटिकल एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

निम्नलिखित मदों को छोड़कर अनुबंध 14 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई :

1. कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स
2. आवास
3. होटल / सर्विस अपार्टमेंट
4. चिकित्सा केंद्र
5. व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र

(vii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 15 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(viii) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 16 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

(ix) मधुरवाड़ा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

अनुबंध 17 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(x) हासन जिला, कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

अनुबंध 18 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सूची में मद (iv) के मामले में केवल वितरण नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन, वाणिज्यिक परिसर तथा विश्राम गृह पर विचार तभी किया जाएगा जब विकासक विद्युत उत्पादन की प्रस्तावित क्षमता तथा अन्य अवसंरचना के आकार का ब्यौरा प्रदान करेगा।

(xi) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 19 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 20 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xiii) पोवई, मुंबई में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स का अनुरोध

अनुबंध 21 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xiv) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 22 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xv) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 23 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xvi) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेटास एंटरप्राइजेज एसईजेड का अनुरोध

अस्तपाल को छोड़कर अनुबंध 24 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xvii) तिरुवन्नामलै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स चैयार एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

निम्नलिखित मदों को छोड़कर अनुबंध 25 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई :

1. कार्यालय स्थान और/या शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस और/या मल्टीप्लेक्स
2. आवास
3. होटल और/या सर्विस अपार्टमेंट
4. क्लीनिक और/या चिकित्सा केन्द्र और/या अस्पताल
5. स्कूल और/या तकनीकी संस्था और/या शैक्षिक संस्था
6. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
7. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)

यह भी निर्णय लिया गया कि जहां तक रेल हेड और बस वे का संबंध है, ड्यूटी एवं कर छूट केवल उस हद तक उपलब्ध होगी जिस हद तक एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर उनका निर्माण होगा। एसईजेड की सीमाओं से बाहर सृजित अवसंरचना के लिए कोई रियायत / छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(xviii) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोर्ट आधारित एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 26 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xix) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंटरनेशनल टेक्नोलाजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

अनुबंध 27 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xx) बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपाक्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एपी टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

अनुबंध 28 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(xxi) पुथुव्यपीन, केरल में पोर्ट आधारित एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) द्वारा पुथुव्यपीन, केरल में पोर्ट आधारित एसईजेड के लिए निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि केवल एसईजेड क्षेत्र के अंदर संचालित अधिकृत गतिविधियों के लिए रियायतें उपलब्ध होंगी।

- (i) पुथुव्यपीन में मौजूदा जीआईडीए सड़क से एसईजेड क्षेत्र को जोड़ने वाली सीधी सड़क संपर्क प्रदान करना;
- (ii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक सड़क का प्रावधान करना; और
- (iii) एसईजेड क्षेत्र में आंतरिक ड्रेन का प्रावधान करना तथा मुख्य ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कार्य करना।

(xxii) अधिकृत प्रचालनों के लिए विशाखापट्टनम एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों के लिए वीएसईजेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

- (i) विद्युत - 132/33 केवी के सब स्टेशन का निर्माण
- (ii) 50 कमरों वाला होटल जिसमें रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, जिम आदि जैसी सुविधाएं होंगी।
- (iii) वीएसईजेड से विशाखापट्टनम पोर्ट तक 18 किलोमीटर लंबी दो पाइप लाइनें बिछाना, एक आयात के लिए और दूसरी निर्यात के लिए।

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(iv) गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि डीसीसीडीएल और डीएपीएल के बीच सह विकासक करार प्रस्तुत किया गया है। तुदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

अनुबंध 29 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे।

(v) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड (डीसीडीएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड (डीसीडीएल) द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और नोट किया कि इस आशय का करार किया गया है। तुदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 3 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अनुमोदन में संशोधन तथा सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम में इसकी अधिसूचना के लिए रहेजा आईटी पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को नोट किया। अनुमोदन बोर्ड ने 26,028,732 जबीपी की एफडीआई के लिए मारीशस की कंपनी के साथ किए गए करार को भी नोट किया।

मद संख्या 4 : एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास के निर्दिष्ट बिंदुओं और फेंसिंग के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा ग्राम हजीरा, तालुक चौरयासी, गुजरात में इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास के निर्दिष्ट बिंदुओं तथा फेंसिंग के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया। राजस्व विभाग द्वारा की

गई टिप्पणियों के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि विकास आयुक्त परिसर का फिर से निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 5 : गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हाउसिंग और शॉपिंग के लिए निर्मित क्षेत्र की सीमा की समीक्षा करने के लिए मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हाउसिंग और शॉपिंग के लिए निर्मित क्षेत्र की सीमा की समीक्षा करने के लिए मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। चूंकि अपने मामले पर प्रस्तुति देने के लिए विकासक का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व इस विशेष एसईजेड का दौरा किया जाना है, अनुमोदन बोर्ड ने 9 मई 2007 को आयोजित होने वाली अपनी अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में मंजूरी पत्र जारी करने के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इस तथ्य को नोट किया कि कांडला, गुजरात में 6000 हेक्टेयर (पहले चरण में 3600 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 2400 हेक्टेयर) के क्षेत्र में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने प्रस्ताव किया है और टंकण की भूल के कारण क्षेत्रफल का उल्लेख 6000 हेक्टेयर के स्थान पर 640 हेक्टेयर के रूप में किया गया है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। तथापि, 5 अप्रैल 2007 को आयोजित ईजीओएम में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए 5000 हेक्टेयर की ऊपरी सीमा निर्धारित करने संबंधी निर्णय के आलोक में निर्णय लिया गया कि केवल 5000 हेक्टेयर भूमि के साथ बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक उत्पादन प्रदान किया जाएगा।

मद संख्या 7 : मौजूदा एसईजेड में अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के लिए सिपकाँट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 189.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 22 दिसंबर 2006 को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक / टेलीकाम हार्डवेयर के लिए उनके मौजूदा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 41.3 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए सिपकाँट के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि तमिलनाडु सरकार तथा विकास आयुक्त दोनों ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है तथा सूचित किया है कि भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा कोई आम रास्ता नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिपकाँट एसईजेड में 41.3 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जिससे कुल क्षेत्रफल 231.07 हेक्टेयर हो जाएगा।

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड

1. स्ट्रीट लाइट के साथ सड़कें
2. उपयुक्त क्षमता की जलापूर्ति लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
3. सीवेज तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
4. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
5. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
6. दूरसंचार की सुविधा
7. कैंटीन
8. फायर स्टेशन
9. पार्किंग स्पेस
10. लैंड स्केपिंग

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

I. निर्माण के दौरान अधिकृत प्रचालन :

निम्नलिखित का निर्माण :

1.1 एलएनजी प्राप्त करने और पुनःगैसीकरण की सुविधा

प्रति वर्ष 365 दिन के स्ट्रीम फैक्टर के आधार पर 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात, भंडारण और पुनःगैसीकरण की क्षमता के साथ एलएनजी प्राप्त करने तथा पुनःगैसीकरण की सुविधा का निर्माण जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- मरीन वर्क
- अपलोडिंग की सुविधाएं
- एलएनजी भंडारण टैंक
- बायल ऑफ गैस रिकवरी सिस्टम
- बाहर भेजने की सुविधाएं
- यूटिलिटीज
- इंस्ट्रुमेंटेशन

1.1.1 मरीन वर्क

- मूरिंग डाल्फिन
- ब्रेस्टिंग डाल्फिन
- अपलोडिंग प्लेटफार्म
- गैंगवे टावर
- वाकवे ब्रिज कनेक्शन
- जेट्टी हेड सहित अप्रोच ट्रेस्टल डीप सी जेट्टी

1. अपलोडिंग की सुविधाएं

- एलएनजी अनलोडिंग आर्म
- प्राकृतिक गैस आर्म
- अनलोडिंग लाइन
- एलएनजी कैरियर में वैपर रिटर्न लाइन (अनलोडिंग के दौरान बायल ऑफ गैस को ट्रांसफर करने के लिए)

1.1.3 एलएनजी भंडारण टैंक

2 एलएनजी भंडारण टैंक का निर्माण

1.1.4 बॉयल ऑफ गैस रिकवरी सिस्टम

सामान्य प्रचालन के दौरान एलएनजी भंडारण टैंक में सृजित बॉयल ऑफ गैस के कंप्रेशन और रि-कंडेनशेसन तथा शिप से एलएनजी की अनलोडिंग के लिए अभिकल्पित बॉयल ऑफ गैस रिकवरी सिस्टम और निम्नलिखित सहित :

- क्रायोजेनिक कम्प्रेसर
- कॉमन सक्शन नॉक-अवर ड्रम
- कॉमन सक्शन गैस डी सुपरहीटर
- रीकंडेनशर

1.1.5 बाहर भेजने की सुविधाएं

- एलएनजी इन टैंक पंप
- एचपी एलएनजी पंप
- एलएनजी वैपोराइजर

एलएनजी वैपोराइजर सिस्टम में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- शेल एंड ट्यूब वैपोराइजर (एसटीवी)
- सबमर्ज्ड कंबस्टन वैपोराइजर (एससीवी)

1.1.6 यूटिलिटीज

यूटिलिटीज में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- पावर सप्लाई सिस्टम -
 - विद्युत वितरण के लिए सब स्टेशन
 - केरल स्टेट पावर यूटिलिटी से फीडर कनेक्शन
- फायर वाटर सिस्टम
- नाइट्रोजन जेनरेशन प्लांट

1.1.7 इंस्ट्रुमेंटेशन

इंस्ट्रुमेंटेशन के उपकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- वितरित कंट्रोल सिस्टम
- इमर्जेंसी शटडाउन सिस्टम
- फायर गैस स्पिल डिटेक्शन सिस्टम

2.1 भवनों का निर्माण :

- 2.1.1 चारदीवारी
- 2.1.2 प्रशासनिक भवन
- 2.1.3 कर्मचारियों के लिए कैंटीन तथा कैटरिंग की सुविधाएं
- 2.1.4 सुरक्षा कार्यालय
- 2.1.5 मनोरंजन केन्द्र
- 2.1.6 कर्मचारियों के लिए क्लीनिक / मेडिकल सेंटर
- 2.1.7 लैबोरेटरी और वेयरहाउस

II. प्रचालन के दौरान अधिकृत प्रचालन :

एलएनजी के लिए पुनःगैसीकरण की सेवाएं प्रदान करने तथा वहां से पुनःगैसीकृत एलएनजी के विपणन एवं वितरण के लिए 2.5 एमएमटीपीए (जिसे बढ़ाकर 5 एमएमटीपीए किया जा सकता है) की क्षमता के एलएनजी पुनःगैसीकरण टर्मिनल का प्रचालन एवं अनुरक्षण। प्रचालन में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे :

2. पोर्ट, जेट्टी
3. भंडारण टैंक
4. नेचुरल गैस / लिक्वीफाइड नेचुरल गैस वितरण एवं इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइनें
5. पुनः गैसीकरण और गैस का वितरण

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुबंध 3

अनुबंध 4

मुंद्रा पोर्ट एसईजेड में विकासक / सह विकासक की अधिकृत गतिविधियां 9 मई 2007 को होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए आस्थगित कर दी गई।

डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान (वार्म शेल)
2. विद्युत उत्पादन और डीजी सेट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाएं
3. एयर कंडीशनिंग और चिलर
4. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
5. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
6. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
7. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
8. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

एर्नाकुलम, केरल में इनफोपार्क द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
14. मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम्स, जिम
15. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
16. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
17. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
18. खेल का मैदान
19. बस बे
20. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
21. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
22. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
23. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
24. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

अनुबंध 7

**असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई का आईटी / आईटीईएस
एसईजेड**

प्रसंस्करण और गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों में गतिविधियों के सीमांकन के संबंध में विकासक / सह विकासक द्वारा ब्यौरा प्रदान किए जाने तक आस्थगित कर दिया गया।

जीआईडीसी द्वारा गांधीनगर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर बिजनेस और/या कंवेशन सेंटर
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. खेल का मैदान
21. बस बे
22. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
23. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
24. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
25. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

26. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर पुलिस चौकियां आदि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान
8. कैंटीन, फूड कोर्ट
9. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)
10. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, लैंडस्केपिंग और वाटर बॉडी
12. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित), एयरकंडिशनिंग, स्वीमिंग पूल
13. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
14. क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
15. कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
16. एटीएम की सुविधाएं
17. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस
18. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर बिजनेस / कंवेशन सेंटर
19. इंटर कनेक्टिविटी, वाईफाई / वाई मैक्स सेवा के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्ले ग्राउंड, बस बे ट्रांसपोर्ट / शटल सुविधा, क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
21. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

एपीआईआईसी - बहु उत्पाद

1. जलापूर्ति
2. सड़कें
3. एटीएम
4. क्लब हाउस और जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
5. लैंडस्केपिंग
6. विद्युत वितरण नेटवर्क
7. स्ट्रीट लाइट
8. निस्सारी शोधन संयंत्र
9. एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क
10. वर्षा जल संचयन
11. अस्पताल को छोड़कर कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल सेंटर
12. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
13. उत्पादन को छोड़कर विद्युत

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड

1. रोड, साइनेज
2. बरसाती पानी का निकास
3. वर्षा जल संचयन
4. उत्पादन को छोड़कर विद्युत
5. जलापूर्ति नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. मल शोधन संयंत्र
8. स्ट्रीट लाइट
9. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर आडिटोरियम
10. क्रेच
11. रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप
12. सामाजिक सुविधाएं जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, एटीएम
13. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान
14. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर शॉपिंग आर्केड
15. मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर खेल की सुविधाएं
16. चिकित्सा केंद्र

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

एचसीएल टेक्नोलाजीज लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान
8. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर बिजनेस और/या कंवेन्शन सेंटर
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं।

ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी, विशाखापट्टनम

- (i) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
- (ii) उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
- (iii) सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना, कचरा निस्तारण और सीवेज शोधन संयंत्र
- (iv) उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क
- (v) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस चौकियां
- (vi) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- (vii) 40000 वर्गमीटर तक कार्यालय स्थान / शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स
- (viii) 20000 वर्गमीटर तक आवास, हॉस्टल / सर्विस अपार्टमेंट
- (ix) 25 बिस्तर वाला अस्पताल
- (x) 8000 वर्गमीटर तक स्कूल / तकनीकी संस्था / शिक्षा संस्था
- (xi) मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)
- (xii) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- (xiii) 100 व्यक्तियों के लिए बिजनेस / कंवेशन सेंटर
- (xiv) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
- (xv) वर्षा जल संचयन संयंत्र
- (xvi) उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
- (xvii) रेल हेड
- (xviii) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
- (xix) स्वीमिंग पूल
- (xx) स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर स्टेशन, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
- (xxi) क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
- (xxii) कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
- (xxiii) खेल के मैदान
- (xxiv) बस बे
- (xxv) कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
- (xxvi) लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

(xxvii) वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं

(xxviii) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

मेडीटैब स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, पूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
3. सीवेज और कूड़ा निस्तारण संयंत्र
4. पाइप लाइन तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना एवं कूड़ा निस्तारण एवं सीवेज शोधन संयंत्र
5. इलेक्ट्रिकल और पाइप लाइन नेटवर्क आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
8. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
9. वर्षा जल संचयन संयंत्र
10. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (बैकअप की सुविधा सहित)
11. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
12. फायर स्टेशन
13. एटीएम, क्रेच, मेडिकल सेंटर तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
14. कैंटीन
15. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
16. वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं
17. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
18. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा पुलिस बल
19. चिकित्सा केंद्र
20. पार्किंग की सुविधा
21. क्लब हाउस इंडोर सहित मनोरंजन की सुविधाएं
22. बस बे
23. रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस

लांको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर बिजनेस और/या कंवेन्शन सेंटर
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड

- 1.1 कार्यालय स्थान
- 1.2 प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर सर्विस अपार्टमेंट
- 1.3 रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैटीन एवं कैटरिंग सुविधाएं, कैफेटेरिया एवं फूड कोर्ट सहित फूड सेवाएं
- 1.4 स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज आदि के साथ सड़कें
- 1.5 जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल संचयन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
- 1.6 सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण
- 1.7 निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
- 1.8 जिम, स्वीमिंग पूल
- 1.9 बिजनेस सेंटर, सम्मेलन हॉल
- 1.10 एटीएम
- 1.11 मनोरंजन की सुविधाएं
- 1.12 शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज
- 1.13 बैकअप आदि के लिए विद्युत एवं अन्य अवसंरचना
- 1.14 दूरसंचार की सुविधाएं
- 1.15 उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क
- 1.16 मल्टी लेवल कार पार्किंग ब्लॉक
- 1.17 खेल के मैदान
- 1.18 स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर डिटेक्शन और सप्रेसन सिस्टम
- 1.19 स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
- 1.20 क्लीनिकल एवं मेडिकल सेंटर्स
- 1.21 बस बे
- 1.22 ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
- 1.23 डाटा रूम

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

एपीआईआईसी

1. जल वितरण प्रणाली
2. सुरक्षा कार्यालय
3. स्वच्छता और सीवेज सिस्टम
4. सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और विद्युत

केआईएडीबी

- a. स्टार्म वाटर ड्रेन के साथ आंतरिक सड़कें
- b. पर्याप्त वितरण नेटवर्क के साथ एसईजेड क्षेत्र को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जलापूर्ति योजना
- c. सीवेज / निस्सारी संग्रहण प्रणाली
- d. विद्युत आपूर्ति / वितरण नेटवर्क / सब स्टेशन
- e. कैंटीन
- f. दूरसंचार की सुविधाएं
- g. फायर स्टेशन
- h. पार्किंग स्पेस

एम्मार हिल्स

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल, साइनेज के साथ सड़कें
2. उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइन तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. विद्युत उत्पादन की सुविधाएं
6. स्वीमिंग पूल
7. कार्यालय स्थान
8. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
9. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
10. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
11. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
12. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
13. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
14. शॉपिंग आर्केड
15. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
16. खेल का मैदान
17. बस बे
18. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

इंदू टेक जोन

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइन तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ट्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

हीरानंदानी बिल्डर्स

1. कार्यालय स्थान
2. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
3. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
4. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइन तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज शोधन संयंत्र
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा निस्सारी शोधन के लिए पाइप लाइन और अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. एयर कंडीशनिंग प्लांट
7. वर्षा जल संचयन संयंत्र
8. इंटरनेट कनेक्टिविटी
9. विद्युत उत्पादन की सुविधाएं
10. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क
11. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर डिटेक्शन और सप्रेसन सिस्टम
12. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय आदि
13. मनोरंजन की सुविधाएं
14. कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
15. जिम
16. बिजनेस सेंटर, कंवेशन हॉल
17. एटीएम
18. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
19. लैंड स्केपिंग आदि
20. मेडिकल सेंटर

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

हैदराबाद जेम्स लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

26 अप्रैल, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

मेटास एंटरप्राइजेज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान
2. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल, साइनेज के साथ सड़कें
3. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग
4. डाटा केंद्र
5. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन
6. वाई फाई / वाई मैक्स जोन
7. सम्मेलन केन्द्र
8. शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस
9. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
10. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइन
11. सीवेज और कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन और सीवेज शोधन संयंत्र
12. विद्युत, गैस और पीएनजी वितरण नेटवर्क
13. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
14. विद्युत (बैकअप पावर सहित)
15. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
16. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार अवसंरचना
17. मेडिकल सेंटर
18. मनोरंजन की सुविधाएं
19. क्लब हाउस
20. जिम
21. स्वीमिंग पूल
22. एटीएम

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं

चेयार एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
8. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
9. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एसईजेड क्षेत्र के अंदर रेड हेड
13. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
14. स्वीमिंग पूल
15. फायर स्टेशन, स्पिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
16. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
17. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
18. खेल के मैदान
19. एसईजेड क्षेत्र के अंदर बस बे
20. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
21. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
22. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
23. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

1. सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तथा एसपीएम से शोर टैंक फार्म (एसटीएफ) तक अंडरसी पाइप लाइन बिछाना
2. चारदीवारी और सड़कों का निर्माण
3. जलापूर्ति की सुविधाएं, स्वच्छता एवं सीवेज प्रणालियां स्थापित करना
4. विद्युत वितरण प्रणाली
5. दूरसंचार की सुविधाएं तथा आवश्यक केबलिंग
6. भवनों तथा गोदामों का निर्माण
7. नियंत्रण कक्षों का निर्माण
8. फायर फाइटिंग नेटवर्क तथा संबद्ध सुविधाओं का निर्माण
9. निस्सारी शोधन संयंत्र की स्थापना
10. एसटीएफ पर कूड ऑयल स्टोरेज टैंक का निर्माण तथा कनेक्टिंग पाइपिंग
11. कूड ऑयल पंप हाउस का निर्माण

ये सभी प्रचालन एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र में हैं।

इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
9. एयर कंडिशनिंग
10. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
11. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
12. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
13. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
14. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
15. वर्षा जल संचयन संयंत्र
16. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
17. स्वीमिंग पूल
18. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
19. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
20. खेल का मैदान
21. बस बे
22. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
23. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
24. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
25. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
26. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
27. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं।

एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. आवश्यक सब स्टेशन सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. कार्यालय स्थान
8. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
10. वर्षा जल संचयन संयंत्र
11. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
12. एयर कंडिशनिंग
13. स्वीमिंग पूल
14. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
15. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
17. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
18. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
19. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
20. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
21. खेल का मैदान
22. बस बे
23. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
24. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
25. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
26. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
27. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं।

डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड

1. कार्यालय स्थान
2. शॉपिंग आर्केड और रिटेल स्पेस
3. प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट
4. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
5. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल, साइनेज के साथ सड़कें
6. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
7. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
8. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पीएनजी वितरण नेटवर्क पाइप लाइन नेटवर्क आदि
9. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
10. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
11. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
12. वर्षा जल संचयन संयंत्र
13. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं के लिए अवसंरचना सहित)
14. इंटरनेट कनेक्टिविटी
15. एयर कंडिशनिंग
16. स्वीमिंग पूल
17. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर डिटेक्शन और सप्रेसन सिस्टम
18. क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
19. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
20. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
21. खेल का मैदान
22. फूड सर्विस - कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
23. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
24. क्लीनिक एण्ड मेडिकल सेंटर
25. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं

ये सभी प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं।